भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 940 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026/2 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है

सागरमाला कार्यक्रम और पत्तन आधुनिकीकरण

†940. डॉ. विनोद कुमार बिंद:
श्री आलोक शर्मा:
श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:
डॉ. भोला सिंह:
श्री विजय कुमार दूबे:
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:
श्री नव चरण माझी:
श्री अरुण गोविल:
श्री अभिमन्यु सेठी:
डॉ. संजय जायसवाल:
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत पत्तन आधुनिकीकरण, नए पत्तन विकास और तटीय आर्थिक क्षेत्र परियोजनाओं के संदर्भ में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रमुख और लघु पत्तन पर पत्तन क्षमता व दक्षता बढ़ाने और टर्नअराउंड समय को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सड़क, रेल और अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से अंतिम छोर तक निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करने के लिए कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या आंध्र प्रदेश में सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत पत्तन-आधारित विकास, मछली पकड़ने के स्थलों, तटीय बुनियादी ढांचे, तटीय समुदाय विकास या अंतिम छोर तक निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करने से संबंधित कोई परियोजनाएं स्वीकृत या कार्यान्वित की गई हैं और यदि हां, तो आवंटित धन और कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति सहित बापटला जिले सहित तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): सागरमाला योजना, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य देश में पत्तन-आधारित विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं के लिए पांच प्रमुख स्तंभों, नामत् पत्तन आधुनिकीकरण, पत्तन संपर्कता, पत्तन-आधारित औद्योगिकीकरण, तटीय समुदाय विकास तथा तटीय नौवहन एवं अंतर्देशीय जल परिवहन के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सागरमाला योजना के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं की स्तंभ-वार प्रगति **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख): सरकार ने पत्तन क्षमता बढ़ाने, परिचालन दक्षता में सुधार करने तथा महापत्तनों पर पोतों के टर्नअराउंड समय को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं। अवसंरचना विकास एवं क्षमता वृद्धि एक सतत् प्रक्रिया है, और इसके अंतर्गत नए बर्थों एवं टर्मिनलों का निर्माण, वर्तमान बर्थों एवं टर्मिनलों का मशीनीकरण, आधुनिकीकारण एवं अनुकूलन, बड़े पोतों को समायोजित करने हेतु ड्राफ्ट की गहराई बढ़ाने के लिए कैपिटल ड्रेजिंग, सड़क एवं रेल संपर्कता का विकास तथा पार्किंग प्लाजा जैसी सहायक अवसंरचना का सृजन करना सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त परिचालन दक्षता बढ़ाने तथा पोतों के टर्नउराउंड समय को कम करने के उद्देश्य से एक राष्ट्र एक पत्तन प्रक्रिया (ओएनओपी) लागू करने पत्तन प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है। इन पहलों के परिणामस्वरूप महापत्तनों एवं गैर महापत्तनों (ओटीएमपी) की कुल कार्गो हैंडलिंग द्वामता वर्ष 2013-14 में लगभग 1400 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) से बढ़कर मार्च, 2026 तक 2,818 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो गई।

(ग): सागरमाला कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य समग्र लॉजिस्टिक्स लागत को न्यूनतम करने के लिए बेहतर पत्तन संपर्कता, पत्तनों एवं उनके भीतरी प्रदेश के बीच माल की कुशल आवाजाही करना है। सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत पत्तन संपर्कता, एक समर्पित स्तंभ है, जिसमें सड़क, रेल व अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से पत्तनों के अंतिम छोर तथा निकटवर्ती भीतरी प्रदेश की संपर्कता पर फोकस किया गया है। इसके अतिरिक्त, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने पत्तन संपर्कता का व्यापक आकलन किया है और वर्ष 2022 में चालू पत्तनों की संपर्कता व्यवस्था की व्यापक समीक्षा कर व्यापक पत्तन संपर्कता योजना (सीपीसीपी) तैयार की है और ऐसे पत्तनों की पहचान की है जहां निकटवर्ती आर्थिक केंद्रो से सड़क एवं/ अथवा रेल संपर्कता में सुधार की आवश्यकता है।

इसके पश्चात, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और रेल मंत्रालय के परामर्श से कुल 294 रेल और सड़क संपर्कता परियोजनाओं की पहचान की है, जिनमें से 84 परियोजनाएं (63 रेल और 21 सड़क) पूरी हो चकी हैं, 66 परियोजनाएं (27 रेल और 39 सड़क) कार्यान्वयन के अधीन है और कुल 144 परियोजनाएं (42 रेल और 102 सड़क) योजना चरण में है। पत्तन परिसीमा के भीतर की संपर्कता परियोजनाओं का क्रियान्वयन पत्तन प्राधिकरणों द्वारा तथा पत्तन

परिसीमा के बाहर की परियोजनाओं का क्रियान्वयन रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अथवा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.) पर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा पूर्ण की गई जहां तक अंतर्देशीय संपर्कता परियोजनाओं का संबंध है,परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है-

i. राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर 3 मल्टी- मॉडल टर्मिनल तथा 1 इंटरमॉडल टर्मिनल।

ii. राष्ट्रीय जलमार्ग-2 पर 1 मल्टी मॉडल टर्मिनल तथा 3 अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल।

iii. राष्ट्रीय जलमार्ग-3 पर 9 अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल।

iv. एर्नाकुलम में 2 रोल- ऑन/ रोल- ऑफ टर्मिनल।

v. राष्ट्रीय जलमार्ग-4 पर 1 रो-रो टर्मिनल।

(घ): सागरमाला योजना के अंतर्गत पत्तन, पात परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में लगभग 1286 करोड़ रु. की लागत की 9 परियोजनओं के लिए 272 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है और इन परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है। ये परियोजनाएं रो- पैक्स एवं यात्री जेट्टी मत्स्य बंदरगाह, पत्तन आधुनिकीकरण तथा कौशल विकास से संबंधित हैं।

अनुबंध I

सागरमाला योजना के तहत पूर्ण और कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं का स्तंभ-वार विवरण:

स्तंभ	पूर्ण परियोजनाएँ		कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएँ	
	संख्या	लागत (₹ करोड़)	संख्या	लागत (₹ करोड़)
तटीय पोत परिवहन और आईडब्ल्यूटी	25	1178.5	17	1167.7
तटीय समुदाय विकास	19	1912.6	28	3008.4
पत्तन आधुनिकीकरण	18	870.2	6	160.8
पत्तन संपर्कता	17	1413.2	3	201.3
कुल योग	79	5374.5	54	4538.2

अनुबंध-II

आंध्र प्रदेश में सागरमाला-वित्त पोषित परियोजनाओं की सूची:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्थिति	जिला	परियोजना लागत (₹ करोड़)	एमओपीएसडब्ल्यू का हिस्स (₹ करोड़)
1	विशाखापट्टणम पत्तन पर तटीय बर्थ का निर्माण	विशाखापट्टणम पत्तन प्राधिकरण (वीपीए)	पूर्ण	विशाखापट्टणम	43	30
2	एच-7 क्षेत्र से कॉन्वेंट जंक्शन से गुजरते हुए पत्तन संपर्कता रोड तक ग्रेड सेपरेटर का निर्माण - विशाखापट्टणम पत्तन	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)	पूर्ण	विशाखापट्टणम	60	23.17
3	पत्तन रोड संपर्कता का एनएच - 5 तक 2 से 4 लेन का विस्तार - चरण II	एनएचएआई	पूर्ण	विशाखापट्टणम	77.00	20.00
4	समुद्री और पोत-निर्माण उत्कृष्टता	इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (आईआरएस)	पूर्ण	विशाखापट्टणम	574.00	36.76

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्थिति	जिला	परियोजना लागत (₹ करोड़)	एमओपीएसडब्ल्यू का हिस्स (₹ करोड़)
	केंद्र - सीईएमएस - एपी- आंध्र प्रदेश में 24 लैब् में से 18					
5	तटीय जिला कौशल विकास कार्यक्रम - चरण I - आंध्र प्रदेश	ग्रामीण विकास मंत्रालय (डीडीयू-जीकेवाई)	पूर्ण	एकाधिक जिले	0.14	0.14
6	आंध्र प्रदेश के एसपीएसआर नेल्लोर जिले में जुव्वालाडिन्ने में फिशिंग हार्बर का विकास	आंध्र प्रदेश मैरीटाइम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एपीएमआईडीसीएल)	पूर्ण	नेल्लोर	288	69.14
7	आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले में काकीनाडा एंकोरेज पोर्ट्स की अवसंरचना में सुधार	आंध्र प्रदेश मैरीटाइम बोर्ड	पूर्ण	काकीनाडा	85.83	36.67

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्थिति	जिला	परियोजना लागत (₹ करोड़)	एमओपीएसडब्ल्यू का हिस्स (₹ करोड़)
8	विशाखापट्टणम फिशिंग हार्बर का आधुनिकीकरण	वीपीए	कार्यान्वयनाधीन	विशाखापट्टणम	178.51	50.00
9	तटीय जिला कौशल विकास कार्यक्रम - चरण 2 - आंध्र प्रदेश	ग्रामीण विकास मंत्रालय (डीडीयू-जीकेवाई)	कार्यान्वयनाधीन	एकाधिक जिले	5.98	5.98
